शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 4, pp (185-193), Month: Dec. 2018

"21वीं सदीं में मानवाधिकार की चुनौती : एक समीक्षा"

डॉ0 चन्द्रलोक भारती

एसो0 प्रोफे0, राजनीतिविज्ञान विभाग,

Murarka College Sultanganj

T.M.B.U, Bhagalpur (Bihar), India.

Email :

सारांश

मानवाधिकारों की भावना मुख्य रूप से विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। क्योंकि यह अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव सभ्यता। आज के इस प्रजातांत्रिक युग में मानवाधिकारों का संबंध मनुष्यों के व्यक्तित्व और विकास से जुड़ा हुआ है। मानवाधिकार किसी भी इन्सान की जिन्दगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है। समकालीन विश्व में मानवाधिकार की अवधारणा को प्रत्येक समाज को चाहे उस समाज या राष्ट्र में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, आर्थिक या अन्य विभिन्नताएँ कितनी भी क्यों न हो इसे अनुपातिक मूल्य की कसौटी पर स्वीकार करना पड़ेगा। मानवाधिकार, सार्वभौमिक है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति, कानून और संस्था का प्रतिपाद्य विषय बन गया है। सत्य तो यह है कि मानवीय अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को इस दिशा में विकास करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करना होगा। यह विचारधारा एक राष्ट्र में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होनी चाहिए।

प्रस्तावना

21वीं सदी की ज्वलंत समस्याओं में मानवाधिकार एक सर्वव्यापी समस्या बन गयी है जो विश्व समुदाय के लिए चुनौती बनकर सामने खड़ी है अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात् मानव अधिकरों की जो घोंषणा हुई उसके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। विश्व शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को मानवाधिकारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् संयुक्तराष्ट्र संघ की घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सेनफ्रांसिसको सम्मेलन हुआ जिसमें सोवियत संघ के प्रतिनिधिमंडल की पहल कदमी पर ही घोंषणा–पत्र तैयार करने वालों ने मानव अधिकारों तथा मूल–भूत स्वतंत्रताओं के सम्मान से संबंधित प्रावधानों की आवश्यकताओं को स्वीकार किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता प्रो0 आमर्त्य सेन ने विकास के अधिकार को विश्लेषित करते हुए कहा है कि मानवाधिकार की वास्तविक कसौती GNP में वृद्धि, औद्योगिक तथा तकनीकि

उन्नति, अधिकारों की भावना का विकास धीरे–धीरे हुआ है और विश्व समुदाय के लिए आज यक एक अनिवार्य अधिकार हो गया है। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकार संबंधी प्रथम घोंषणा में तो नही शामिल है, लेकिन चार्टर में अनेक स्थानों पर इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राष्ट्रों से यह अपेक्षा करती है कि वह अपने राष्ट्रो में मानवाधिकार के प्रति स्पष्ट नीतियाँ अख्तियार करे।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए विभिन्न स्रोतो का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः प्रकाशित ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाओं में छपे विवरण निबंध लेख, गूगल, इन्टरनेट तथा विभिन्न शोध ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया है।

तथ्य विश्लेषण

जब हम इतिहास के पन्नों पर दृष्टिपात करते है तो मालूम पड़ता है कि मानवाधिकारों की अवधारणा का इतिहास काफी पुराना है। परंतु इसकी वर्त्तमान अवधारणा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विकसित हुई जब 10 दिसम्बर 1948 ई0 को Universal Declaration of Human Rights का मसविदा तैयार किया गया। वैसे मानव अधिकारों का उल्लेख प्राचीन भारतीय धर्म–ग्रंथों जैसे– मनु–स्मृति, हितोपदेश, पंचतंत्र तथा प्राचीन यूनानी दर्शन में इसकी स्पष्ट झलक दिखाई पड़ता है। यद्यपि सन्– 1215 ई0 में इंग्लैण्ड में जारी ''मेग्नाकार्टा (Magnacarta) अर्थात महान घोंषणा–पत्र प्रकाशित हुआ। परंतु उन अधिकारों को मानवाधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। सन् 1525 ई0 में जर्मनी के किसानों द्वारा प्रशासन से मांगी गए अधिकारों की 12 धाराओं को यूरोप में मानवाधिकारों का प्रथम दस्तावेज कहा जा सकता है। 1789 ई0 में फ्रांस की राजक्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने नागरिकों की अधिकारों की घोंषणा की जिसके फलस्वरूप **विश्व में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व** के विचारों को बल मिला[1]। मानवाधिकार की पृष्ठभूमि में ब्रिटेन में ही 1679 ई0 में Habeas Corpus Act, (बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम) पारित किया गया जिसमें व्यवस्था की गई है कि बिना अभियोग चलाये किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं रखा जा सकता। 1689 ई0 में Bill of Rights पारित कराया गया। संयुक्तराज्य अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता की घोंषणा के साथ–साथ 1776 ई. में मानवाधिकारों की घोंषणा में मानव अधिकारों का विशद वर्णन किया है। 4 जुलाई 1776 ई0 को स्वतंत्रता की घोंषणा करते हुए कहा गया है कि "We hold these truth to be self- evident that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain in all enable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness"[2]

जहाँ तक भारत में मानवाधिकार के संगठन एवं भारतीय संविधान में प्रावधान का उल्लेख का प्रश्न है तो वह समय पर समय भारत के कई एक प्रान्तों मे मानवाधिकार का संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रही थी। भारत में नागरिक अधिकार आन्दोलन (सी0एल0यू0) की शुरूआत स्वतंत्रता से पूर्व ही हो गई थी। इसके गठन में नेहरू की अहिम् भूमिका रही थी।

परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कुछ ही वर्षो के भीतर सी0एल0यू0 निष्क्रिय हो गया और अंततः इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सी0एल0यू0 के अस्तित्व की समाप्ति के पीछे नेहरू एवं अन्य भारतीय नेताओं की विचारधारा से थी। इन नेताओं का विचार था कि स्वतंत्रता मिल जाने और लोकतांत्रिक संविधान लागू हो जाने के बाद नागरिक अधिकार आन्दोलन की औचित्य नहीं रह गई है।

60 के दशक में कुछ राज्यों में संगठन अस्तित्व में आए जिनका उद्देश्य मानवाधिकार की रक्षा करना था। इनमें प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में **'एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (Association for the Protection of Democratic Rights) (APDR),**आन्ध्र प्रदेश में–**(Andhra Pradesh Civil Liberties Committee) (APCLC)** और पंजाब में **(Association for Democratic Rights)** है। इन सभी प्रान्तों में इन संगठनों ने ग्रामीण इलाकों में दमन और शोषण के प्रश्न उठाए और राज्य की शक्ति से संघर्ष भी किया।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम मानवाधिकार संगठन लोकनायक जय प्रकाश नारायण की पहल और प्रेरणा से 1975 में बना। इसका नाम –Peoples Union for Liberties and democratic rights रखा गया। आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में इस संगठन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी परन्तु आपातकाल की समाप्ति के साथ ही यह संगठन निष्क्रिय हो गया।[3]

भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन

भारत सरकार ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए तथा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से Sept. 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जिसे 1994 में एक अधिनियम के तहत इसे और भी सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बना दिया गया है। इसके तहत् राज्यो में राज्य मानवाधिकार आयोग और जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। यह आयोग मानवाधिकारों के हनन या उल्लंघन के मामलों की जाँच करता है। ऐसा वह स्वयं या किसी के द्वारा शिकायत किए जाने पर करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अन्य सदस्यों में एक सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत न्यायाधीश, मानवाधिकार के विषय में जानकारी रखने वाला दो सदस्य, एक उच्च न्यायालय का वर्त्तमान या सेवानिवृत न्यायाधीश तथा अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग एवं अनु0 जाति, जनजाति आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हे। इनका कार्यकाल पाँच वर्षो का होता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर करते हैं।[4]

वास्तव में मानव अधिकार व्यक्ति की प्रकृति में निहित है जिनके अभाव में व्यक्ति प्रतिष्ठा सम्पन्न जीवन व्यतित नहीं कर सकता है। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार है, जिनका उपभोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक अधिकृत है। जैसे जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार मानवाधिकार के ही अन्तर्गत आते है। भारतीय

संविधान में भी मौलिक अधिकार भाग–3, के अनुच्छेद 14 से 35 एवं राज्य के नीतिनिर्देश तत्व, भाग-IV के अनु0 36–51 तक में मानवाधिकार का विशद प्रावधान किया गया है। 'एमनेस्टी इन्टरनेशनल' मानवाधिकारों की रक्षा को विश्व भर में सुनिश्चित करने वाली एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है।[5]

सन् 1945 ई0 संयुक्त राष्ट्र सघ के स्थापना के लिए एकत्रित अनेक प्रतिनिधियों ने चार्टर में ही मानवाधिकार संबंधी विस्तष्त घोंषणा और इसकी व्यवस्थाओं की मांग की इसलिए UNO चार्टर में मानवाधिकारों से संबंधित स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस सम्मेलन में श्रीमती रूजवेल्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

चार्टर की प्रस्तावना–

''प्रस्तावना में मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्त्व में तथा पुरूष एवं स्त्री के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया है।'' चार्टर के अनुच्छेद–1, 13, 55, 56 एवं 62 में मानव अधिकारों तथा मानव स्वतंत्रताओं की प्राप्ति, मूल–भूत अधिकारों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना और सभी के लिए मानव अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित एवं सम्मान की भावना बढ़ाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।[6]

मानवाधिकार मात्र आदर्श या कल्पना मात्र नहीं है, और न ही यह कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमं विशेष कानून के अस्तित्व के कारण प्रदान किये जाते है। वास्तव में मानवाधिकार ऐसे दावे है जो व्यक्तियों के मानवोचित गुणों से संबंधित है।

भूतपूर्व मानवाधिकार न्यायविद वेंकटचलैया ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि **''मानव अधिकार हमारी प्रकषति में निहित है और इनके बिना हम व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतित नहीं कर सकते''।**

भूतपूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारी समिति के अध्यक्ष **न्यायमूर्ति पी0एन0 भगवती** ने कहा था कि **''मानवाधिकार व्यक्तिक स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकर के रूप में अत्यंत आवश्यक है, परन्तु यह मौलिक अधिकार अधिकारों का एक बहुत छोटा समूह मात्र है इसलिए मानवाधिकार जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति की गरिमा से हुई है और जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपने में समाविष्ट करते है, केवल राज्य के विरूद्ध कुछ वरीयता प्राप्त स्वतंत्रताए ही नहीं है बल्कि इनका असाधारण महत्व भी है।''** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की **धारा2(D)**के अनुसार **''मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो जीवन स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा से संबंधित है जिनकी गारन्टी को संविधान या अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मलित किया गया और जिसका कार्यान्वयन भारतीय न्यायलयों से काराया जा सकता है।''**[7]

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकारों के आदर्श को स्वीकार करने के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र को UN Commission On Human Rights को मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्तों का मशविदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। लगभग तीन वर्षों के प्रयत्न के बाद मानव अधिकार आयोग ने Universal Declaration of Human Rights का मशविदा तैयार किया गया, इस मशविदे को महासभा

ने कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसम्बर 1948 ई0 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। मानव अधिकार घोंषणा–पत्र में प्रस्तावना सहित 30 (तीस) अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। इस घोंषणा–पत्र में न केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का बल्कि सामाजिक, अर्थिक अधिकारों का भी पहली बार प्रतिपादन किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय यह जानना चाहती है कि 30 धाराओं वाली यह घोंषणा लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शक्तियों के बढ़े हुए प्रभावों के अन्तर्गत और मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक जनसाधारण की सशक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप की गई थी। हलांकि मानवाधिकारों का घोंषणा पत्र किसी भी राष्ट्र पर बाध्यकारी नहीं है। घोंषणा पत्र की स्वीकृति के समय केवल 58 सदस्य राष्ट्र शामिल थे, परन्तु जब से अब तक यह संख्या लगभग 3 गुणी हो गई है।[8]

अब प्रश्न उठता है कि किस श्रेणी के अधिकारों में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोंषणा को माना जाय? यह मतभेद अभी भी कायम है क्योंकि इन अधिकारों के उल्लंघन के स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करना चाहिए? इसी क्रम में 1990 ई0 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कई ऐसी घटनाओं में जैसे **रूआण्डा में जनसंहार, कुबैत पर ईराक का आक्रमण और तिमूर में इंडोनेशिया की सेना द्वारा किया गया नरसंहार** प्रमुख रहा है। इस संदर्भ में कुछ लोगों का विचार है कि U.N.O कि घोंषणा पत्र अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वहाँ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बाध्यकारी शक्तियों का सहारा लें। लेकिन कुछ अन्य विचारकों का यह मत है कि शक्तिशाली राष्ट्रों की हितों में ही संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का निर्धारन करता है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के किस मामले में कार्यवाही करेगा, और किसमें कार्रवाही नहीं करेगा। जैसा कि इराक में अमेरिकी नेतृत्व में आक्रमण के समय देखा गया कि बिना U.N.O के अनुमोदन के ही वहाँ आक्रमण कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ मुक दर्शक बना रहा।[9]

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोंषणा के 20 वर्षो के बाद U.N.O ने वर्ष 1968 ई0 को **'अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष'** घोषित किया गया। 10 दिसम्बर को इंसानी अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए अधिकारों के लिए जारी हर लड़ाई को ताकत देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी **Universal Human RightsDay** मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों–सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज दने में इस दिवस की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका आयोजन तेहरान में आयोजित मानवाधिकारों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या जिसमें एक कार्यक्रम और एक मूख्य घोंषणा का अनुमोदन किया गया। U.N.O द्वारा प्रायोजित अब तक का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन 25 जून 1993 ई0 को आस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्पन्न हुआ जिसमें **170 से अधिक देशों, 841 गैर सरकारी संगठनों** और बड़ी संख्या में विशेष रूप से आमंत्रित लोगों तथा पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया।

मानवाधिकार संरक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की वर्त्तमान स्थिति

अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court) (ICC) एक स्थायी

न्यायाधिकरण है।[10] जिसमें जन–संहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रमण का अपराध के लिए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है।[11, 12] वर्त्तमान में 111 सदस्य राष्ट्र शामिल है। **Song Sang- Hyun इसके अध्यक्ष हैं।** स्थापना **Rome Statute Adopted 17 Julay 1998 एवं Entered into force 1 July 2002 में हुई।**ICC का निर्माण, 1945 ई0 के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का शायद सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार रहा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो निकायों को जो व्यक्तियों के साथ होने वाले व्यवहारों पर नजर रखते हैं ताकत देता हैः मानव अधिकार एवं मानवीय कानून।

यह अदालत 1 जुलाई 2002 को अस्तित्व में आई – वह तिथि जब इसकी स्थापना संधि अन्तर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय की रोम संविधि को लागू किया गया।[13] और यह केवल उस तिथि या उसके बाद के दिनों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चला सकती है।[14] अदालत की अधिकारिक बैठक **द हेग, नीदरलैण्ड** मे हाती है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी हो सकती है। अक्टूबर 2010 तक इसके 114 देश इस न्यायालय के सदस्य है। [(15)(16)]**मोल्डोवा** जिसने 11 अक्टूबर 2010 को ICC संविधि को मंजूरी दी थी। 1 जनवरी 2011 को 114वाँ सदस्य देश बन गया है। इसके अलावा 34 अन्य देशों ने जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल हैं, हस्ताक्षर तो किए है लेकिन रोम संविधि का अनुसमर्थन नही किया है। चीन और भारत समेत ऐसे कई देश हैं जिन्होंने ICC की आलोचना की है और रोम संविधि पर हस्ताक्षर नही किये हैं। वर्त्तमान में अदालत पाँच स्थानों पर जाँच करती हैं–**उत्तरी युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दारफुर (सूडान) और केन्या गणराज्य** (15–16) International Court of Justice के विपरीत ICC संयुक्त राष्ट्र से कानूनी और कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है।

मानवाधिकार के कुछ कन्वेशन

1. नरसंहार की रोकथाम और सजा के बारे में कन्वेशन 1948 (132 देशों का हस्ताक्षर)
2. शरणार्थीयों की स्थिति के बारे में कन्वेशन 1951 इस प्रोटोकॉल में 136 पक्ष राज्य है।
3. रंग–भेद समाप्त करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन 1966 (157 देशों का हस्ताक्षर)
4. महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेद–भाव समाप्त करने संबंधी कन्वेशन 1979 (166 देशों का हस्ताक्षर)
5. उत्पीड़न और अन्य अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड रोकने सबंधी कन्वेशन 1984 (123 देशों का हस्ताक्षर)
6. बाल अधिकारों के बारे में कन्वेशन 1989 (191 देशों ने हस्ताक्षर किये)
7. विकास के अधिकार के बारे में घोंषणा 1986
8. सभी विस्थापित श्रमिकों और उनके परिवारजन के अधिकारों के रक्षा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन 1990 (15 देशों का हस्ताक्षर)

9. राष्ट्रीय या नस्ली, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तित्व के अधिकारों की घोंषणा 1992
10. धर्म और विश्वास पर आधारित हर प्रकार के असंयम और भेद–भाव की समाप्ति की घोंषणा 1997
11. मानवाधिकार प्रतिरक्षकों के बारे में घोंषणा 1998[17]

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों एवं विश्लेषण के संदर्भ में निष्कर्षतः हम कह सकते है कि 21वीं सदी में विश्व समुदाय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की है। खासकर इस सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ की इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए विश्व समुदाय को समर्पित होना पड़ेगा क्योंकि यह चुनौती सिर्फ एक राष्ट्र की नही है और न ही अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संध की ही है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की है। अतः मानवाधिकारों को संरक्षण हेतू बढ़ावा देने के लिए सदस्य राष्ट्रों को आगे आना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन्टरपोल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व व्यापी संस्था को मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले सदस्य राष्ट्रो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तभी विश्व में शांति, भाईचारे एवं विश्व बंधुत्व की भावना कायम रह सकती है।

सन्दर्भ

1. जैन, योगेश चन्द *(निबंध माला 221)*, अरिहंत पब्लिकेशन इण्डिया लि0 मेरठ, 2011 पृ0–**85**
2. सिंहल, एस0 सी0, *''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति''* लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, 2011, पृ0–**234**
3. Emerging Facets of Human Rights Awareness in Rural Bihar Journal Edited – Shashi Bhushan Kumar, Published by- Nand Kishor Singh, Janki Prakashan, Ashok Rajpath Chauhatta, Patna- 2013, Page- **81-82**
4. Emerging Facets of Human Rights Awareness in Rural Bihar Journal Edited – Shashi Bhushan Kumar, Published by- Nand Kishor Singh, Janki Prakashan, Ashok Rajpath Chauhatta, Patna- 2013,Page – **103**
5. जैन, योगेश चन्द, पृ0 – **85**
6. सिंहल, एस0 सी0, पृ0–**235 से 236**
7. विसवाल, तपन *''मानवाधिकार जेन्डर एण्ड पर्यावरण''*Viva Books, नई दिल्ली, 2008 पृ0–**76**
8. जैन, पुखराज एवं बी0 एल0 फाड़िया *''राजनीति विज्ञान''* साहित्य भवन, आगरा 2007 पृ0–**106**
9. कुमर, रवीन्द्र नाथ *''समकालीन विश्व राजनीति''* स्टुडेण्टस फ्रेंण्ड, पटना, 2009 पृ0–**160** से **161**

10. कई अन्य संगठन से जिनका संक्षिप्त रूप ICC है, अलग करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को कभी–कभी ICCT के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। हालांकि सबसे अधिक संक्षिप्त रूप ICC का इस्तेमाल इस लेख में किया गया है।
11. रोम संविधि का अनुच्छेद 5, 20 मार्च 2008 को अभिगम
12. दिसम्बर 2002, *संयुक्त राष्ट्र का लोक सूचना विभाग*, अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, 5 दिसम्बर 2006 को अभिगम
13. एमनेस्टी इंटरनेशनल, 11 अप्रैल 2002 *द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट– ए हिस्टोरिक डेवलमेंट इन द फाइट फॉर जस्टिस*, 20 मार्च 2008 को अभिगम
14. रोम संविधि का 11 अनुच्छेद, 20 मार्च 2008 को अभिगम
15. रोम संविधि का अनुच्छेद–3, 20 मार्च 2008 को अभिगम
16. संयुक्त राष्ट्र संधि संग्रह : *अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का रोम संविधि*– 30 जून 2008 को अभिगम
17. जैन, पुखराज एवं बी0 एल0 फाड़िया *''राजनीति विज्ञान''* साहित्य भवन, आगरा 2007 पृ0–**110 से 111**